न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/109/2024 रजू दिनांकः 22.08.2024 रजि0 न0 2024/197

अपीलार्थीः–

श्री कुलदीप वर्मा, निवासी डी–528, बुध विहार, अलवर राज0 –301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 15.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.06..2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा द्वारा RTI Online Portal पर दर्ज प्रथम अपील संख्या 293885276564539 दिनांक 16.08.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.09.2024 को उपस्थित आवें।

9\. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आये। प्रत्यर्थी से जवाब जरिये डाक प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/1823 दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal पर दर्ज प्रथम आवेदन संख्या दिनांक 27.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 9181015759 दिनांक 23.07.2024 पर आक्षेप व्यक्त कर सूचना चाही गई है। जिसके अनुसरण में संबंधित अनुभाग से पुनः अद्यतन स्थिति बाबत जानकारी प्राप्त किए जाने पर, प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) मिनी सचिवालय, अलवर के पत्रांक भू.अ./ पीएम–किसान/प–4040/2024/13288 दि0 18.09..2024 के माध्यम से प्राप्त बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार "अपीलार्थी द्वारा अपील में वांछित सूचना के पूर्व में भी समय–समय पर समान प्रकृति के 04 सूचना आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके है" जिनके क्रम में सूचित किया जा चुका है, अपीलार्थी के विरूद्व तहसीलदार (भू.अ.) थानागाजी द्वारा दर्ज कराई गई FIR No. 0039 दिनांक 02.02.2022 अनुसंधानाधीन होने एवं अपीलार्थी के विरूद्व पुलिस कार्यवाही लम्बित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के अलोक में किसी प्रकार की सूचना देय नही है।

9\. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्व तहसीलदार (भू.अ.)थानागाजी द्वारा दर्ज कराई गई FIR No.0039 दिनांक 02.02.2022 अनुसंधानाधीन होने एवं अपीलार्थी के विरूद्व पुलिस कार्यवाही लम्बित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के अलोक में सूचना देय नही है, जो नियमों के आलोक में उचित प्रतीत होता है। प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/1824 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में सूचना व अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट खारीज किये जाने योग्य है।

10\. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

11\. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12\. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)